भागलपुर समाहरणालय
(जिला योजना कार्यालय)

बिहार सरकार

(निविदा आमंत्रण सूचना)

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बेंच–डेस्क कय कर अधिष्ठापन/ आपूर्ति हेतु अनुशंसा की गयी है। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के आलोक में आपूर्ति हेतु दिनांक 15.04.2020 को अपराह्न 1:00 बजे तक निर्माता कम्पनी/ फर्म व ख्याति प्राप्त एजेन्सी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को उसी दिन दिनांक 15.04.2020 को अपराह्न 3:00 बजे जिला कय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। Specification से संबंधित विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, भागलपुर के सूचना पटट् पर अथवा जिले के वेबसाईट **https://bhagalpur.nic.in** पर देखी जा सकती है।

(क) तकनीकी निविदा संबंधी शर्तेः

1. अग्रधन के रूप में 50,000/– (पच्चास हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा, जो जिला योजना पदाधिकारी, भागलपुर के पदनाम से भुगतेय होगा।
2. निविदादाता को प्रष्ठिान का निबंधन प्रमाण– पत्र Shop & Establishment की छायाप्रति देना अनिवार्य होगा/ उद्योग विभाग से पंजीकृत होने अथवा ट्रेड लाईसेंस संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को कम्पनी एवं फर्म में निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता अगर पार्टनरशिप में है तो साझेदारी संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. तकनीकी लिफाफा में निविदादाता को स्व अभिप्रमाणित जी0एस0टी0 में निबंधन प्रमाण–पत्र एवं जी0एस0टी0 का अद्यतन रिर्टन (जनवरी 2020 तक) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को किसी निबंधित चार्टर एकाउन्टेंट से वार्षिक टर्न ओभर जो एक करोड़ रुपये से कम का नहीं हो (सत्यापित पी0एल0 एकांउट) की प्रति संलग्न करना होगा।
7. पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा साथ ही तीन वर्षों का आयकर रिर्टन (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) की प्रति संलग्न करना होगा।
8. काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण– पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।
10. निविदादाता को बेंच–डेस्क की आपूर्ति संबंधित विद्यालय में करना होगा, इसके लिए अलग से किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगा।
11. आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश के साथ किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगा।
12. यह निविदा दर निर्धारण की तिथि से पूरे एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगा।
13. आपूर्तिकर्ता द्वारा बेंच–डेस्क के आपूर्ति के उपरांत स्थल जाँच महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर तथा संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। जाँचोपरांत अधिष्ठापन प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही प्राप्त विपत्र के आधार पर राशि का भुगतान कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जायेगा।
14. आपूर्तिकर्त्ता को यह शपथ पत्र देना होगा कि विज्ञापन में प्रकाशित बेंच/ डेस्क मानक विशिष्टता एवं गुणवत्ता के अनुरूप ही आपूर्ति की जायेगी।
15. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने अथवा संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(ख) वित्तीय शर्तेः

1. आपूर्तिकर्ता/ निविदादाता को विभागीय मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु दर (लकड़ी एवं लोहे का अलग–अलग) प्रति इकाई सभी कर सहित अंकित करना होगा।
2. वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग से शीलबंद रहेगा एवं वित्तीय एवं तकनीकी लिफाफा एक बड़े लिफाफे के अंदर रहेगा, जिसके ऊपर निविदादाता का पूर्ण पता का उल्लेख रहना आवश्यक है।

4/3/2020

उप विकास आयुक्त
भागलपुर।

☎ 0641-2420218 (O)
Fax – 0641-2420218

E-mail ID: dpo.bgp@gmail.com